Rs. 20000 RUPEES 20000

भारत INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 7,37,040/-
बाजारू मूल्य : रू0 4,10,200/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 73,800/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख मिट्ठूलाल पुत्र स्व0 श्यामलाल, निवासी ग्राम मुजफ्फर नगर खुल्लास, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् जिन्दा पुत्र

[illegible]

মোট [illegible]

[illegible]

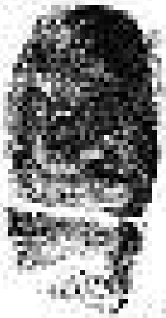

[illegible] আমার শ্রী [illegible]

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

जानेश्वर कोरी, निवासी-मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट-[illegible], जिला-फतेहपुर, 3090 जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रित भूमि खसरा संख्या-404 रकबा 0.292 हेक्टेयर में से 1/6, अर्थात 0.048 हेक्टेयर व खसरा संख्या 651 रकबा 0.648 हेक्टेयर में से 1/2, अर्थात 0.324 हेक्टेयर इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.372 हेक्टेयर, स्थित ग्राम

[illegible]

[illegible]

... पक्षकारों के लिए

[illegible]

RUPEES

20000

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मुजफ्फर नगर मुसवल परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, स्वामित्व व काबिज है तथा अद्यतन सत्यापित पंचवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 194 व 198 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों दिनांक 10.11.2004 को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को हुए विक्रय विलेख द्वारा निष्पादित कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विलेख के पूर्व कहीं बय, हिबा,

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

₹1000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या हिस्सा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के

1000Rs.

२000रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

613283

फलस्वरूप रु0 7,37,048/- (रुपया सात लाख सैंतीस हजार अड़तालिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हक उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   613254

के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बनाई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने शामिल के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता

500Rs

500रु. Rs.500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-12-

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया बिजली पानी का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर मुस्तहकम अर्बनाइजेबल क्षेत्र के निश्चित ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.373 हेक्टेयर की मालियत रू० 4,10,300/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 75,000/- अंकत

उत्पन्न अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहरी पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन पर समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–491 रकबा 0.297 हेक्टेअर में से 1/6, अर्थात 0.049 हेक्टेअर व खसरा संख्या 352 रकबा 0.648

हेक्टेअर में से 1/2, अर्थात 0.224 हेक्टेअर इस प्रकार कुल दो किता व कुल रकबा 0.373 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 404

पूरब : खसरा संख्या-356
पश्चिम : खसरा संख्या-405
उत्तर : खसरा संख्या-406
दक्षिण : खसरा संख्या-410

खसरा नं0 352

पूरब : खसरा संख्या-330
पश्चिम : खसरा संख्या-355, 356
उत्तर : खसरा संख्या-351, 365
दक्षिण : खसरा संख्या-354, 333

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रू0 7,37,048/- (रुपया सात लाख सैंतीस हजार अड़तालिस मात्र) में से विक्रेता को रू0 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) की चैक सं0 465730, व रू0 2,37,048/- (रुपया दो लाख सैंतीस हजार अड़तालिस

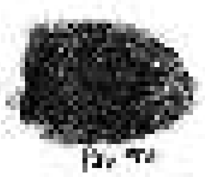

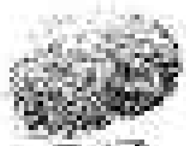

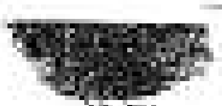

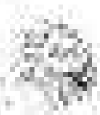

मात्र द्वारा चैक संख्या–455731 दिनांकित 15.06.2006, जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ
दिनांक 15.06.2006
गवाह
1. Sunil Kumar S/ Shri T.P. Singh
Sahara Complex (Lucknow)

विक्रेता
(मेवालाल)

2. Rahul Pathak
Hussain Mahal Road
Lucknow

क्रेता
(बिन्दा)

टाईपकर्ता
(बृज सोनी)

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अनवर हुसैन)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा–32 ए० के अनुपालन हेतु,
फिंगर प्रिन्ट्स

अनुग्रहीता/विक्रेता नाम व पता : [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

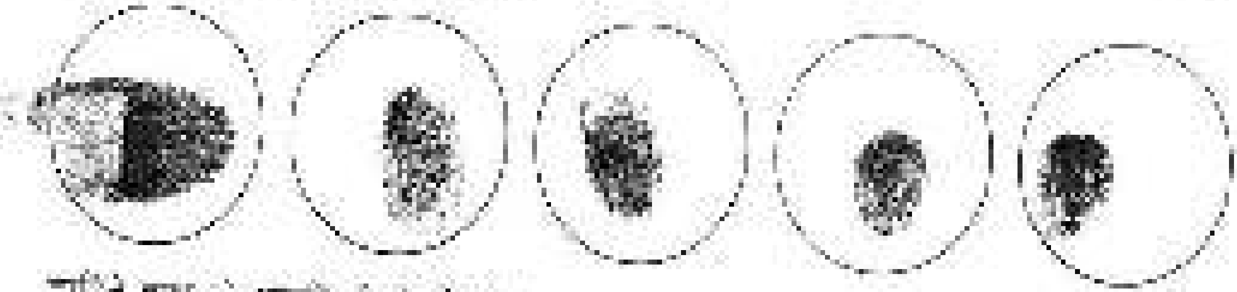

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

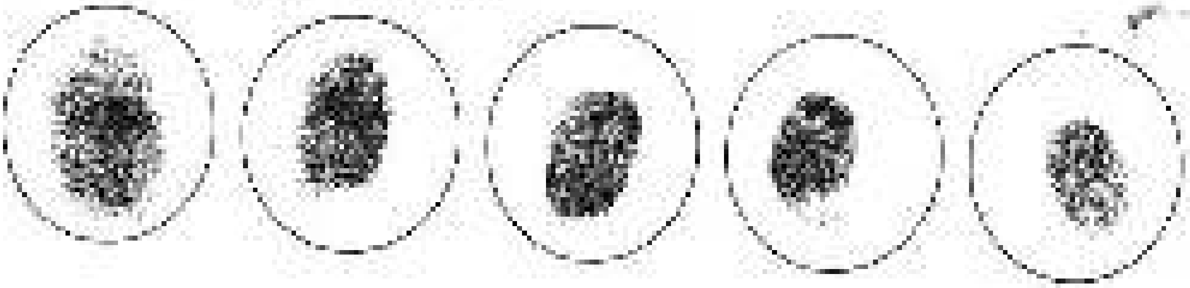

विक्रेता/क्रेता नाम व पता : [illegible] अनुग्रहीता/विक्रेता [illegible]
[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

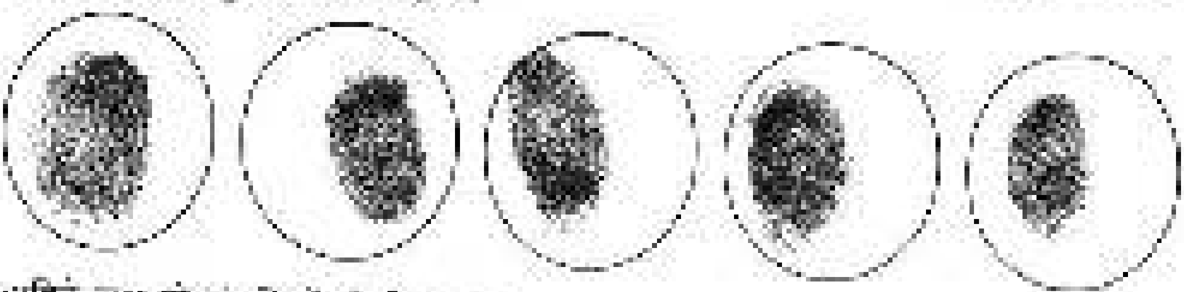

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह –

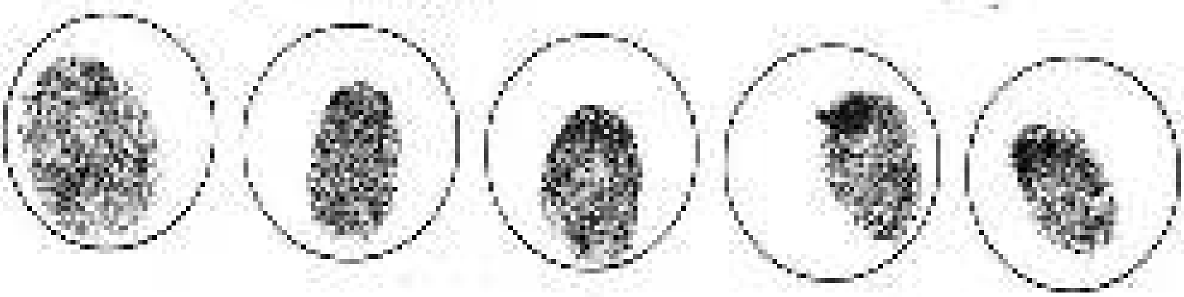

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

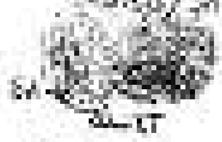

प्राप्त दिनांक [illegible]

पुस्तक संख्या I वर्ष [illegible]

कुल पृष्ठ [illegible]

अभिलेखों में [illegible]

[illegible]

अधीक्षक (पत्र)

[illegible]